भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.4407

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

केरल में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

†4407. श्री शफी परम्बिलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कितने बेघर परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) केरल में उक्त अवधि के दौरान पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने के लिए कुल कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(ग) राज्य में उक्त अवधि के दौरान पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने में केरल राज्य सरकार के अंशभाग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, बेघर व्यक्तियों सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण के तहत 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है ताकि केरल राज्य सहित देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें। शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

केरल द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पिछले पांच वर्षों (2019 - 2024) के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए कुल 77,176 आवास स्वीकृत किए गए हैं। पिछले वर्षों में स्वीकृत आवासों सहित स्वीकृत आवासों में से, 71,797 आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 77,052 आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। पिछले पांच वर्षों (2019 - 2024) के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत राज्य के लिए 1372.14 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1285.51 करोड़ रुपये राज्य/केंद्रीय नोडल एजेंसी को जारी किए गए हैं।

पीएमएवाई-यू के तहत आवासों का निर्माण केंद्रीय सहायता, राज्य के हिस्से के साथ-साथ लाभार्थी के योगदान से किया जा रहा है। भारत सरकार ने पीएमएवाई-यू के एएचपी और बीएलसी घटकों के तहत 1.5 लाख रुपये की निश्चित केंद्रीय सहायता प्रदान की है। हालांकि, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र आवासों को किफायती बनाने के लिए अपना हिस्सा देने के लिए स्वतंत्र हैं। केरल ने राज्य के हिस्से के रूप में 50,000 रुपये प्रदान किए और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, आवास की शेष लागत शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/लाभार्थियों द्वारा साझा की गई। इस योजना की अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, उसे वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है ताकि चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों की सहायता की जा सके। आज तक, 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन केरल ने अभी तक एमओए पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड संचालन दिशानिर्देशों में उल्लिखित किए गए हैं जिन्हें https://pmay-urban.gov.in पर देखा जा सकता है।

*****